भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2907

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2026 को दिया जाना है।

14 श्रावण, 1948 (शक)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बने डीपफेक वीडियो का बढ़ता इस्तेमाल

2907. श्री कार्ती पी. चिदम्बरमः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दूसरे व्यक्तियों का रूप धरने, मतदाताओं को गुमराह करने, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने और ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता-जनित डीपफेक वीडियो और मॉर्फ्ड छवियों के बढ़ते उपयोग का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो विगत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, सीईआरटी-इन और अन्य नामित एजेंसियों के माध्यम से डीपफेक से संबंधित प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या वायरल डीपफेक सामग्री से तुरंत निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा सीईआरटी-इन, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के बीच कोई समन्वय तंत्र मौजूद है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2026 के पश्चात् सरकार द्वारा किए गए कार्यान्वयन उपाय क्या हैं; और

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2026 की अधिसूचना के बाद से सोशल मीडिया मध्यवर्ती मंचों को डीपफेक सामग्री को हटाने या उस तक पहुँच को अक्षम करने के लिए जारी किए गए अनुरोधों की संख्या कितनी है और निर्धारित तीन घंटे की समय-सीमा के भीतर अनुपालन किए गए ऐसे अनुरोधों का प्रतिशत कितना है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ङ):** सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) द्वारा संचालित डीपफेक से उत्पन्न खतरों के प्रति सतर्क है, जिसमें कृत्रिम आडियो, वीडियो और पाठ्य सामग्री शामिल हैं। उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, भरोसेमंद और उत्तरदायी स्पेस सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने डीपफेक की चुनौती से जुड़े अलग-अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कानून और नियम बनाए हैं:

<u>सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम")</u>

- धारा 43 में कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम आदि को नुकसान पहुंचाने पर दंड और क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।
- धारा 66 में कंप्यूटर से जुड़े अपराधों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है;
- इसमें, पहचान की चोरी (धारा 66ग), प्रतिरूपण (धारा 66घ), निजता का उल्लंघन (धारा 66 ङ), अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना (धारा 67, 67क) जैसे अपराध शामिल हैं।
- विशिष्ट जानकारी/लिंक के एक्सेस को अवरुद्ध रोकने के लिए मध्यवर्तियों को अवरोधक आदेश जारी करने का प्रावधान करना(धारा 69क)

- गैरकानूनी कार्य करने के लिए उपयोग की जा रही सूचना को हटाने के लिए मध्यवर्तियों को नोटिस जारी करने का प्रावधान करना (धारा 79)
- इसके अलावा, अधिनियम पुलिस को अपराधों (धारा 78 और 80) की जांच करने का अधिकार भी प्रदान करता है।

<u>भारतीय न्याय संहिता, 2023 ("बीएनएस")</u>

- धारा 319 में प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी के लिए दंड का प्रावधान किया गया है;
- धारा 336 में जालसाजी के लिए दंड का प्रवाधान किया गया है (इसमें किसी भी पक्षकार की प्रतिष्ठा को धोखा देने या नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना भी शामिल है)।
- धारा 353 का उद्देश्य झूठे या भ्रामक बयान, अफवाहें या रिपोर्ट बनाने के कार्य को दंडित करके गलत सूचना और दुष्प्रचार के प्रसार को रोकना है, जो सार्वजनिक उत्पात या भय पैदा कर सकते हैं।
- डीपफेक की विषय-वस्तु से जुड़े संगठित साइबर अपराधों पर भी धारा 111 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

<u>सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम")</u>

आईटी नियमों के तहत मध्यवर्तियों पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उचित सावधानी बरतने का विशेष दायित्व है और उन्हें कंप्यूटर संसाधनों के उपयोगकर्ताओं को यह सूचित करना होगा कि वे ऐसी कोई भी जानकारी होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, अपडेट या साझा न करें जो:

- किसी अन्य व्यक्ति की है और जिस पर उपयोगकर्ता का कोई अधिकार नहीं है;
- अश्लील, पोर्नोग्राफ़िक, निजता का उल्लंघन करने वाली, या नफ़रत या हिंसा को बढ़ावा देने वाली है;
- बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाली है;
- किसी भी मालिकाना हक का उल्लंघन करती हो;
- संदेश के स्रोत के बारे में प्राप्तकर्ता को गुमराह या धोखा देने वाली है;
- जानबूझकर और इरादतन किसी भी गलत सूचना का संचार करती है; स्पष्ट रूप से गलत और असत्य जानकारी या भ्रामक जानकारी है;
- जिसमें एआई के माध्यम से दूसरों का प्रतिरूपण करना शामिल है;
- राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है;
- किसी भी लागू कानून का उल्लंघन करती है।

मध्यवर्तियों को सेवा की शर्तों और उपयोगकर्ता समझौतों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को गैरकानूनी सामग्री साझा करने के परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करना होगा, जिसमें सामग्री हटाने, खाता निलंबन या समाप्ति शामिल है।

भारत में 50 लाख या उससे अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता आधार (एसएसएमआई) वाले सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को निम्नलिखित अतिरिक्त दायित्वों का पालन करना आवश्यक है:

- मैसेजिंग सेवाएं प्रदान करने वाले एसएसएमआई को गंभीर या संवेदनशील विषय-वस्तु भेजने वालों का पता लगाने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करना।
- गैरकानूनी सामग्री के प्रसार का पता लगाने और सीमित करने के लिए स्वचालित उपकरणों का उपयोग करना।
- अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना, स्थानीय अधिकारी नियुक्त करना और अनुपालन और कानून प्रवर्तन समन्वय के लिए भारत में स्थित भौतिक पता साझा करना।

- स्वत: कार्रवाई करने से पहले स्वैच्छिक उपयोगकर्ता सत्यापन, आंतरिक अपील और निष्पक्ष सुनवाई की सुविधा प्रदान करना।

<u>शिकायत निवारण तंत्र:</u>

मध्यवर्तियों के लिए आवश्यक है कि वे शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करें और तय समय-सीमा के अंदर शिकायतों का समाधान करें। अगर मध्यवर्तियों के शिकायत निवारण अधिकारी, शिकायतों का समाधान नहीं करते हैं, तो उपयोगकर्ता https://www.gac.gov.in पर ऑनलाइन अपील कर सकते हैं। जीएसी सामग्री मॉडरेशन से जुड़े निर्णयों की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं।

पुलिस में दर्ज शिकायतों की जांच संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) द्वारा संगत सांविधिक ढांचे के तहत की जाती है। चूंकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए राज्य/संघ शासित क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए उत्तरदायी हैं।

<u>हाल ही में किए गए संशोधन:</u>

10 फरवरी, 2026 को, सरकार ने डीपफेक और एआई-जनित सामग्री सहित कृत्रिम रूप से तैयार की गई जानकारी (एसजीआई) से होने वाली क्षति से निपटने के लिए आईटी नियम, 2021 में संशोधन करके नियामक ढाँचे को मजबूत किया है।

संशोधन से संबंधित मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: -

- मध्यवर्तियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुमेय एआई-जनित सामग्री के लिए साफ़ लेबलिंग हो और उनका मेटाडेटा ऐसा हो जिसे ट्रैक किया जा सके, जिससे उपयोगकर्ता आसानी से कृत्रिम रूप से उत्पन्न सामग्री की पहचान कर सकें और धोखे या गलत इस्तेमाल से बचा जा सके।
- यह उपयोगकर्ता की जवाबदेही और प्लेटफ़ॉर्म की सावधानी बरतने की ज़िम्मेदारी को और मज़बूत करता है। इसमें गैर-कानूनी एआई-जनित सामग्री के कानूनी परिणामों के विषय में उपयोगकर्ता को जागरूक करना और सोशल मीडिया मध्यवर्तियों के लिए कड़े नियमों का अनुपालन करना शामिल है।
- इन दिशानिर्देश में स्पष्ट रूप से, बाल यौन शोषण सामग्री, बिना सहमति के ली गई अंतरंग तस्वीरें, प्रतिरूपण और एआई जनित अन्य हानिकारक सामग्री को शामिल किया गया है, इसके अंतर्गत प्लेटफार्मों द्वारा ऐसी सामग्री को रोकने के लिए और पता चलने पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने आवश्यकता होती है।
- नियमों के अनुपालन के लिए समय-सीमा को और मज़बूत करना, उचित सरकारी या कोर्ट के आदेश से मिली सही और ठोस जानकारी के आधार पर गैर-कानूनी जानकारी को हटाने की समय-सीमा कम करना (समय-सीमा 36 घंटे से घटाकर 3 घंटे की गई) और शिकायतों के समाधान की समय-सीमा कम करना शामिल है (इसमें नग्नता/प्रतिरूप जैसी खास श्रेणियां शामिल हैं) (समय-सीमा 72 घंटे से घटाकर 36 घंटे और संवेदनशील मामलों के लिए 24 घंटे से घटाकर 2 घंटे की गई)।
- मध्यवर्ती स्वचालित उपकरण या अन्य उपयुक्त तंत्र सहित तार्किक और उचित तकनीकी उपायों को लागू करने के लिए बाध्य हैं, ताकि किसी भी उपयोगकर्ता को किसी भी कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी बनाने, उत्पन्न करने, संशोधित करने, बदलने, प्रकाशित, संचारित, साझा करने या प्रसारित करने की जैसा भी मामला हो, अनुमति नहीं दी जा सके, जो उस समय लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करती है।
- आईटी नियमों के तहत, 'महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्तियों ' (एसएसएमआईएस) के लिए आवश्यक है कि वे ऐसी जानकारी की पहचान करने के लिए उचित तकनीकी उपाय (जैसे

ऑटोमेटेड टूल्स या अन्य सही तरीके) अपनाएं, जो रेप, बच्चों के यौन शोषण या उससे जुड़े किसी भी तरह के कार्य या कृत्य (चाहे वह स्पष्ट हो या निहित) को दिखाती हो, या ऐसी जानकारी जो पहले हटाई जा चुकी जानकारी से बिल्कुल मिलती-जुलती हो।

यदि मध्यवर्ती आईटी नियमों में प्रदान किए गए कानूनी दायित्वों का पालन करने में विफल होते हैं तो वे आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाली 'थर्ड पार्टी जानकारी' से जुड़ी छूट खो देते हैं। वे मौजूदा कानून के तहत प्रदान की गई परिणामी कार्रवाई या अभियोजन के लिए उत्तरदायी होंगे।

<u>एआई गवर्नेंस दिशानिर्देश:</u>

सरकार ने एआई गवर्नेंस के लिए एक संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है। **5 नवंबर 2025** को जारी **इंडिया एआई गवर्नेंस दिशानिर्देश,** एआई के सुरक्षित, उत्तरदायी तथा जिम्मेदार विकास और इस्तेमाल के लिए एक जोखिम-आधारित और आनुपातिक ढांचा प्रदान करते हैं।

<u>इंडिया एआई मिशन के तहत क्षमताओं को मजबूत बनाना</u>

इंडियाएआई मिशन के सुरक्षित और भरोसेमंद एआई स्तंभ का उद्देश्य स्वदेशी गवर्नेंस फ्रेमवर्क, मानकों, उपकरणों और मूल्यांकन तंत्र के माध्यम से एआई के उत्तरदायी विकास, परिनियोजन और अंगीकरण को बढ़ावा देना है। डीपफेक डिटेक्शन सहित देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में 13 उत्तरदायी एआई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

डीपफेक डिटेक्शन से संबंधित प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- डीप फेक डिटेक्शन के लिए आईआईटी जोधपुर और आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित मल्टी-एजेंट फ्रेमवर्क 'साक्ष्य'
- ऑडियो-विजुअल जालसाजी का पता लगाने की प्रणाली में सुधार के लिए एआई विश्लेषक
- रियल टाइम वॉयस डीपफेक डिटेक्शन सिस्टम पर आईआईटी खड़गपुर की परियोजना

<u>सरकार द्वारा अपनाए गए समन्वय तंत्र और कार्यान्वयन के उपाय</u>

- जीएसी – मध्यवर्तियों के निर्णयों को चुनौती देने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक अपीलीय मंच प्रदान करना।
- सामग्री हटाने की सूचना- सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित मध्यस्थों को किसी भी गैरकानूनी जानकारी को अदालत के आदेश या उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी से लिखित रूप में तर्कसंगत सूचना के माध्यम से उनके संज्ञान में आने पर तुरंत हटाने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की गैरकानूनी जानकारी में वह जानकारी शामिल है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, उपरोक्त से संबंधित किसी अपराध के लिए उकसाने आदि के संबंध में वर्तमान में लागू किसी भी कानून के तहत निषिद्ध है, या कोई भी ऐसी जानकारी जो वर्तमान में लागू किसी भी कानून के तहत निषिद्ध है। मध्यवर्ती प्लेटफ़ॉर्म पर ऐसी किसी भी जानकारी को हटाने के लिए नोटिस सीधे संबंधित सरकारों या उनकी अधिकृत एजेंसियों द्वारा भेजे जाते हैं; यहाँ 'संबंधित सरकार' का अर्थ संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों हो सकता है।
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) – यह सभी राज्यों में साइबर अपराधों से संबंधित कार्यों का समन्वय करता है। सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के साथ पठित आईटी अधिनियम के तहत एजेंसियों को डीपफेक सहित गैरकानूनी सामग्री को हटाने या उन्हें अक्षम करने के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार देता है।
- सहयोग पोर्टल (आई4सी द्वारा प्रबंधित) – मध्यवर्तियों को स्वचालित, केंद्रीकृत रूप से नोटिस हटाने में सक्षम करता है। पूरे भारत में संबंधित सरकार और उसकी अधिकृत एजेंसियां गैरकानूनी सामग्री को हटाने के अनुरोध पर इसका उपयोग करती हैं।

- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल – नागरिक https://cybercrime.gov.in पोर्टल के माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट कर सकते है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया है। डीपफेक, वित्तीय धोखाधड़ी और सामग्री का दुरुपयोग करना आदि रिपोर्ट करने योग्य हैं। एक हेल्पलाइन नंबर 1930 भी क्रियाशील है।
- पुलिस - पुलिस अधिकारी साइबर अपराधों की जांच करते हैं।
- समन्वय प्लेटफॉर्म: समन्वय प्लेटफॉर्म, अपराधियों और अपराध विश्लेषण-आधारित अंतरराज्यीय संयोजन से साइबर धोखाधड़ी की जांच को मजबूत करता है। इसका **'प्रतिबिंब'** मॉड्यूल अपराधियों और अपराध की अवसंरचना के स्थानों का मानचित्रण करता है, जिससे अधिकारियों को कार्रवाई योग्य स्पष्टता प्राप्त होती है। अब तक, इसने **12,987 आरोपियों** की गिरफ्तारी, **1,51,984 आपराधिक कड़ियों और 70,584 साइबर जांच** सहायता अनुरोधों पर कार्रवाई की है, इससे संगठित साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क को कुशलतापूर्वक नष्ट करने में सहायता मिली है।

<u>परामर्शी निदेश और मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी):</u>

सरकार ने सोशल मीडिया मध्यवर्तियों सहित सभी मध्यवर्तियों को कई परामर्श जारी किए हैं, जिनमें आईटी अधिनियम और आईटी नियमों के तहत ज़रूरी सावधानी बरतने की ज़िम्मेदारियों का पालन करने पर ज़ोर दिया गया है। जारी किए गए परामर्श और तैयार एसओपी का विवरण इस प्रकार है:

- धार्मिक मामलों से संबंधित सूचना के प्रबंधन के संबंध में मध्यवर्तियों को 09.02.2026 को एक परामर्श जारी किया गया था।
- अभ्रद, मानहानिपूर्ण, आपत्तिजनक, अपमानजनक और भ्रामक रूप से उत्पन्न जानकारी के निर्माण, होस्टिंग, प्रकाशन, पारेषण, साझा करने या अपलोड करने के संबंध में मध्यवर्तियों को 16.03.2026 को एक परामर्श जारी किया गया था।
- ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर बिना सहमति के अंतरंग तस्वीरों/वीडियो (एनसीआईआई) के प्रसार को रोकने के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया ("एसओपी") तैयार की गई है और इसे 11.11.2025 को जारी किया गया है। यह एसओपी पीड़ितों, मध्यवर्तियों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करती है, ताकि बिना सहमति के शेयर की गई अंतरंग या मॉर्फ़ की गई तस्वीरों सहित एनसीआईआई कंटेंट के ऑनलाइन प्रसार के विरुद्ध तुरंत और एकसमान कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

<u>जागरूकता अभियान</u>

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रत्येक वर्ष अक्तूबर माह के दौरान साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (एनसीएसएएम), हर साल फरवरी के दूसरे मंगलवार को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, प्रत्येक वर्ष 1 से 15 फरवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा और भारत में नागरिकों के साथ-साथ तकनीकी साइबर समुदाय के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन करके प्रत्येक माह के पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस (सीजेडी) मनाता है।

सर्ट-इन: भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल नियमित रूप से एआई से संबंधित जोखिमों और प्रति उपायों पर दिशानिर्देश जारी करता है, जिसमें डीपफेक भी शामिल है; अपनी आधिकारिक वेबसाइटों और सोशल मीडिया हैंडल पर सुरक्षा और संरक्षा संबंधी युक्तियाँ और जागरूकता पोस्टर, इन्फो-ग्राफिक्स और वीडियो साझा करते हैं और इसका उद्देश्य बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा उपायों सहित साइबर सुरक्षा हमलों और धोखाधड़ी पर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील बनाना है। इन्होंने नवंबर 2024 में डीपफेक खतरों और डीपफेक से सुरक्षित रहने के लिए जिन उपायों का पालन करने के संबंध में एक परामर्श प्रकाशित किया है।
